


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 793/2012

जिला : जयपुर

उनवान : मै. चिनार जयपुर बनाम सी.टी.ओ. ए.ई. जोन-3 जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 27.3.2015 | <p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष</u></p> <p>अपीलप्रार्थी/वकील श्री आर.डी शर्मा एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री आर.के अजमेरा उपस्थित।</p> <p>श्री शर्मा ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम, 2015 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत अपील को विद्वद्ग करना चाहते है। इस बाबत श्री शर्मा ने प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>अतः श्री शर्मा एडवोकेट का अपील को विद्वद्ग करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये विद्वद्गअल खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> | |


अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड,
अजमेर।